छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 9 सितम्बर, 2020

क्रमांक एफ 20–47/2015/11/6 :: चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तथा विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 में वर्णित बिंदु क्रमांक 5 के द्वारा **छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम–2015** में जोडी गई कंडिका 2.13 में निम्नलिखित अनुसार संशोधन करता है।

संशोधन

1. कंडिका 2.13 की द्वितीय पंक्ति में वर्णित **"गत 10 वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग निरंतर संचालित रहा है"** को **"गत 10 वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया हो"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. कंडिका 2.13 की पांचवी पंक्ति में वर्णित **"2 हेक्टेयर अथवा इससे कम भूमि आबंटित हो"** को **" 4 हेक्टेयर या 10 एकड़ तक भूमि आबंटित हो"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

उपरोक्त संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 20–47/2015/11/6 नया रायपुर दिनांक सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि :–

1. **संचालक,** उद्योग संचालनालय छ0ग0, उद्योग भवन, रायपुर
2. **प्रबंध संचालक,** सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, रायपुर
3. **नियंत्रक,** शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
4. **मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,** जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग